

विचार बिन्दु

शत्रु को क्षमा, विरोधी को सहनशीलता, मित्र को अपना हृदय, बालक को उत्तम दृष्टान्त, पिता को आदर, माता को ऐसा आचरण जिससे वह तुम पर गर्व कर सके, अपने को प्रतिष्ठा और सबको उपहार। –बालफोर

ग्रामीण युवाओं के केरियर निर्माण में अटल ज्ञान केन्द्र एक महत्वपूर्ण पहल

ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही केरियर निर्माण के शहरी युवाओं जैसे ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार की अटल ज्ञान केन्द्र स्थापना की पहल इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि ग्रामीण युवा गाँव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यक सभी तैयारियां बेहतर तरीके से गाँव में ही कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 14403 पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित कर रही है। राज्य सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि प्रदेश में 628 अटल ज्ञान केन्द्र तैयार भी हो चुके हैं। अटल ज्ञान केन्द्र की खास बात यह है कि यह युवाओं के केरियर निर्माण के साथ ही ई-मित्र सेवाएं भी उपलब्ध होने से गाँव, ग्रामीण, किसान और युवाओं के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। अटल ज्ञान केन्द्र की परिकल्पना इस तरह से तैयार की गई है जिससे शहरों में उपलब्ध होने वाली केरियर सेवाओं जैसी ही बेहतर सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को मिल सकेगी।

पंचायत मुख्यालय पर बन रहे अटल ज्ञान केन्द्र की खास बात यह है कि 12 लाख 50 हजार रुपए की लागत से तैयार होने वाले इन ज्ञान केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र पर 4 कम्प्यूटर, आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधाओं के साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही युवाओं को केरियर कार्डसलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामीणों को ई-मित्र सेवाएं भी यहां उपलब्ध हो सकेगी। अटल ज्ञान केन्द्र इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आज शहरों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए युवा शहरों में गली-मौहल्लों में बनी लाइब्रेरी को अपना अध्ययन केन्द्र बना रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरों में पलायन कर इन लाइब्रेरियों की ओर रुख करते हैं। अब जब गाँव

अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित करने के पीछे जो सोच है वह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने ज्ञान केन्द्र स्थापना का निर्णय कर लिया है। 628 केन्द्र बनकर भी तैयार हो गए हैं। सुपूर्ण रुपरेखा भी तैयार है ऐसे में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि सभी पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केन्द्र के सरकार के सपने को निर्धारित समय सीमा में पूरा करे। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं स्तरीय सुनिश्चित करनी होगी ताकि सरकार की ग्रामीण युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस पावन योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

है। फिर अब आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस का दौर आ गया है। जब गाँव में ही युवाओं के बेहतर इंटरनेट सेवाएं, ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी और केरियर कार्डसलिंग की सुविधा मिल सकती है तो फिर ग्रामीण युवा केरियर की दौड़ में आगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक गाइडेंस व तैयारियों के लिए जरूरी बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी तो फिर शहरी युवाओं और ग्रामीण युवाओं के बीच की खाई आसानी से पट सकेगी।

अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित करने के पीछे जो सोच है वह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने ज्ञान केन्द्र स्थापना का निर्णय कर लिया है। 628 केन्द्र बनकर भी तैयार हो गए हैं। सुपूर्ण रुपरेखा भी तैयार है ऐसे में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि सभी पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केन्द्र के सरकार के सपने को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं स्तरीय सुनिश्चित करनी होगी ताकि सरकार की ग्रामीण युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस पावन योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण युवाओं पर केन्द्रित इस योजना को मूर्त रुप देने पर जोर देते रहे हैं। सरकार की मंशा भी स्पष्ट है। अब ग्रामीणों और युवाओं को भी आगे आना होगा ताकि उनके यहां अटल ज्ञान केन्द्र की तय समय पर स्थापना हो और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। युवाओं को भी सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाने की सकारात्मक पहल करनी होगी।

–अतिथि सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)

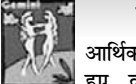
राशिफल शनिवार 3 अक्टूबर , 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत– 2083, आर्द्र नक्षत्र रात्रि 1:30 तक, वारिर्यान योग दिन 3:21 तक, बव करण प्रातः 8:00 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज अष्टमी का श्राद्ध, कालाष्टमी है। आज महालक्ष्मी व्रत समाप्त होगा। आज अष्टमी तिथि का क्षय हुआ है। आज शुक्र वक्री दिन

12:45 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया– शुभ 7:52 से 9:20 तक, चर 12:16 से 1:44 तक, लाभ अमृत 1:44 से 4:40 तक।

राहुकाल– 9:00 से 10:30 तक, सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:08

	मेघ व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी। नौकरिपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।		सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।		धनु परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बढ़ेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	वृष आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।		कन्या व्यावसायिक कार्यों को आर्थिक लाभ के कारण प्रयास में रुक सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्दे लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।		मकर स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	मिथुन आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बन्दे लगेंगे। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। मानसिक तनाव दूर होगा।		तुला आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में शुभ संदेश प्राप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।		कुंभ व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। अटक हुए व्यावसायिक कार्य बन्दे लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
	कर्क घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ बनी रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।		वृश्चिक चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।		मीन घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।



प्रोफेसर अशोक कुमार

उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और विकासशील राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। विश्वविद्यालय केवल उपाधियों (डिग्रियां) बांटने वाले औपचारिक केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान के मौलिक सृजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक चेतना और समाज को दिशा देने वाले प्रबुद्ध नेतृत्व के उद्गम स्थल हैं। आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा की भूमिका केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।

किंतु आज भारत के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय एक अभूतपूर्व और बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यह संकट दोहरा है-एक ओर जहाँ शीघ्र नेतृत्व और प्राध्यापकों की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी, भाई-भतीजावाद और शैक्षणिक मानकों की उपेक्षा ने संस्थागत शुचिता को गहरा आघात पहुँचाया है, वहीं दूसरी ओर सरकारों द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से अक्षम होड़कर स्ववित्तपोषण की अनौपचारिक दौड़ में धकेल दिया गया है। जब कोई विश्वविद्यालय अपनी उन्नतजीविता के लिए छात्रों की फीस और राजस्व संग्रह पर निर्भर हो जाता है, तो सबसे पहली आहुति शैक्षणिक गुणवत्ता, मेरिट और संस्थागत अनुशासन दी जाती है।

किसी भी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, शैक्षणिक वातावरण और उसकी प्रतिष्ठा का निर्धारण उसके शीर्ष नेतृत्व-विशेषकर कुलपति से होता है। कुलपति विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और प्रशासनिक अगुआ होता है। यदि शीर्ष पद पर ही ऐसा व्यक्ति आसीन हो जाए जो योग्यता, सत्यता या अनुभव के स्थापित मानकों को पूरा नहीं करता, तो समूची संस्था का पराभव तय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में कुलपति के पद हेतु अत्यंत कड़े और स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं:-सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता: कुलपति पद पर केवल उसी व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो उच्चतम स्तर की क्षमता, नैतिक शुचिता, निष्कलंक छवि और संस्थागत प्रतिबद्धता रखता हो।

चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली की इतनी तीव्र आलोचना क्यों?



महावीर सिंह

मतदाता सूचिया शुद्ध होनी चाहिए, इस से कोई इनकार नहीं कर सकता। मतदाता का नाम छुटे नहीं,व्यवस्था बनने की वेष शर्तों में जो नहीं आए उनका नाम मतदाता सूचियों में रहे नहीं इस बात से हर कोई सहमत है। मुख्य रूप से सारा झगड़ा, आलोचनाएं निर्वाचक नामावलियों को आदिनांक करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर है। इस पर आगे विचार करेंगे।

ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की उनके काम के लिए पहले आलोचना नहीं होती थी पर पूर्व की आलोचनाओं और अब जो आलोचनाएं है उनमें रात और दिन का अंतर है। अब आलोचनाएं है सीधे-सीधे वोटरर्स के नाम जोड़ने, हटाने के लिए संबंध में है। इसके लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया बहुत से, मेरे जैसे, सामान्य बुद्धि के लोगों की समझ से बाहर है। प्रक्रिया अत्यंत उलझन भरी है।

पहले के चुनाव आयुक्तों के सबसे पड़ा आरोप होता था कि वे सत्तापक्ष के करीबी हैं और इसी आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है जैसे नवीन चावला की आलोचना का आधार था कि वे कोप्रेस पार्टी की मुखिया के नजदीकी थे। इसी प्रकार टी एन शेषन की आलोचना भी राजीव गांधी का नजदीकी मानकर होती थी। जेम्स माइकल लिंगदोह की आलोचना सोनिया गांधी के सहधर्मी होने कारण हुई। पहले के अधिकांश आयुक्तों की निर्वाचक नामावलियों को लेकर शायद ही कोई आलोचना हुई हो। पहले की आलोचनाएं आचार संहिता, सभी दलों को चुनाव लड़ने के

विशिष्ट शिक्षाविद: उम्मीदवार का संपूर्ण शैक्षणिक करियर उत्कृष्ट होना चाहिए तथा उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उसका योगदान प्रमाणित होना चाहिए।

10 वर्ष का वास्तविक प्रोफेसर अनुभव: विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।इस संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत यह है कि यह अनुभव वास्तविक कार्य अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरदान के. गदवी बनाम गुजरात राज्य (2022) तथा अन्य मामलों में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण हेतु बनाए गए नियम राब्यों पर भी पूर्णत: बंधनकारी हैं। सर्व-कम-सिलेक्शन कमेटी द्वारा बिना किसी राजनीतिक अथवा बाह्य हस्तक्षेप के, पूर्णत: पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से ही योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। जब भी इन स्थापित विधिक मानकों से समझौता किया जाता है, तो विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र बनने के बजाय प्रशासनिक विसंगतियों और विवादों का अखाड़ा बन जाते हैं।

कानूनी और नीतिगत पहलुओं से आगे जब हम विश्वविद्यालयों के व्यावहारिक संचालन को देखते हैं, तो एक भयावह प्रशासनिक विवशता सामने आती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा के बजट में भारी कटौती की है और नियमित अनुदान को सीमित कर दिया है। इसके चलते कुलपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जो विवशता खड़ी होती है, वह शैक्षणिक गुणवत्ता की नींव हिला देती है।

एक कुलपति के रूप में मेरा प्रशासनिक अनुभव इस जमीनी संकट की परतें खोलता है:-जब किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है, तो एक बुनियादी कटऑफ (जैसे न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक) तय करना गुणवत्ता की पहली शर्त होती है। किंतु जब परीक्षा परिणाम आते हैं, तो यह कड़वी सच्चाई सामने आती है कि 30 प्रतिशत का न्यूनतम पैमाना रखने पर 50 से अधिक सीटें खाली रह जाती हैं।

यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष एक गंभीर धर्मसंकट पैदा होता है:-यदि 30 प्रतिशत के मानक पर अडिग रहा जाए, तो आधी सीटें खाली रहेंगी। सीटें खाली रहने का सीधा अर्थ है-छात्रों से मिलने वाली फीस में 50 से अधिक सीटें खाली रह जाती हैं।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी भौतिक, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों का शत-प्रतिशत सदुपयोग करना और उनका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करना।

सरकार का दायित्व: राष्ट्रीय शिक्षा नीतिजैसी व्यापक नीतिगत रुपरेखा और दिशा-निर्देश तैयार करना, जिससे उच्च शिक्षा के मानक एकसूत्र रहें। संस्थान एवं शिक्षक का दायित्व: उन दिशा-निर्देशों के आधार पर छात्रों के लिए आधुनिक, व्यावहारिक, उद्योग-उन्मुख और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उसे समय-समय पर अद्यतन (अपडेट)

का संकट खड़ा हो जाएगा।

अंततः संस्थान के वित्तीय अस्तित्व को बचाने के लिए प्रवेश के न्यूनतम अंक घटाकर 20 प्रतिशत या उससे भी नीचे करने पड़ते हैं। यह सवाल अपने आप में गहरा और चिंताजनक है कि जिस छात्र ने प्रवेश परीक्षा में सम्श्रित 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, वह उच्च शिक्षा और शोध के स्तर को किस दिशा में ले जाएगा?

यही विवशता कक्षाओं में उपस्थिति और परीक्षा प्रणाली में भी दिखाई देती है। नियमों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। परंतु जब इसे कड़ाई से लागू किया जाता है, तो स्थिति यह बनती है कि 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसका सीधा वित्तीय प्रभाव यह होता है कि छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे, जिससे विश्वविद्यालय को मिलने वाला भारी परीक्षा शुल्क रकम जाएगा। वित्तीय कमी के भय से प्रशासन को अंततः नियमों में ढील देनी पड़ती है। यह पूरी व्यवस्था राज्य विश्वविद्यालयों को एक ऐसे दुष्चक्र में धकेल देती है जहाँ: बजट की कमी, सीटें भरने की मजबूरी मेरिट से समझौता, कमजोर नींव वाले छात्र, अध्यापन का गिरता स्तर, डिग्री का अवमूल्यन। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय एक बौद्धिक संस्थान न रहकर केवल फीस संग्रह और डिग्री वितरण केंद्रबनकर रह जाते हैं। अक्सर विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पतन के लिए केवल शिक्षकों और कुलपतियों को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। किंतु गहन विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यह सरकारी और शिक्षण संस्थान-दोनों की साझा विफलता है:

सरकार राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली की मुख्य संरक्षक है। उसकी प्रार्थमिक जिम्मेदारियां हैं:-सरकार का दायित्व: विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त वित्तीय बजट का आवंटन करना, नए शैक्षणिक पदों को समय पर स्वीकृति देना तथा आधुनिक भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का निर्माण करना।

संस्थान एवं शिक्षक का दायित्व: सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी भौतिक, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों का शत-प्रतिशत सदुपयोग करना और उनका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करना।

सरकार का दायित्व: राष्ट्रीय शिक्षा नीतिजैसी व्यापक नीतिगत रुपरेखा और दिशा-निर्देश तैयार करना, जिससे उच्च शिक्षा के मानक एकसूत्र रहें। संस्थान एवं शिक्षक का दायित्व: उन दिशा-निर्देशों के आधार पर छात्रों के लिए आधुनिक, व्यावहारिक, उद्योग-उन्मुख और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उसे समय-समय पर अद्यतन (अपडेट)

करते रहना।

कक्षा शिक्षण:—

सरकार का दायित्व: शिक्षकों की दक्षता और क्षमता संवर्धन के लिए नियमित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आधुनिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना।

संस्थान एवं शिक्षक का दायित्व: समय-सारिणी के अनुसार कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना, नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को अपनाना और विद्यार्थियों को केवल रटाने के बजाय उनका समग्र मार्गदर्शन करना।

परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी नियामक नियम निर्धारित करना। निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध और नकल-मुक्त परीक्षा आयोजित करना तथा छात्रों के वास्तविक ज्ञान व विश्लेषणात्मक क्षमता का सही मूल्यांकन करना। शत-प्रतिशत आवर्ती अनुदान:जब तक सरकार शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का पूरा दायित्व स्वयं नहीं उठाएगी, तब तक कोई भी प्रशासन गुणवत्ता से समझौता करने से नहीं बच सकता।

नियमित और पारदर्शी नियुक्तियां: वर्षों तक स्थायी शिक्षकों की भर्ती न करना और विश्वविद्यालय को तदर्थ या अतिथि संकाय के भरोसे छोड़ देना शिक्षण की गुणवत्ता को नष्ट करता है।

आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, हाई-स्पीड इंटरनेट और अनुसंधान उपकरण उपलब्ध कराना सरकार का विधिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है। विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने या उनके निर्णयों में अवांछित हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी शिक्षण की वास्तविक गुणवत्ता कक्षा के भीतर शिक्षक और संस्थान के आचरण पर निर्भर करती है:-

नियमितता और अनुशासन: समय-सारणी के अनुसार नियमित कक्षाओं, प्रैक्टिकल्स और टय्यूटोरियल्स का संचालन सुनिश्चित करना संस्थान की पहली जिम्मेदारी है।

समसामयिक पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति: केवल पारंपरिक व्याख्यानों तक सीमित न रहकर प्रोजेक्ट-आधारित अध्ययन, शोध-उन्मुख शिक्षण और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक है।

नकल-मुक्त, निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षा आयोजित करना जिससे मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके। अकादमिक सत्यनिष्ठा: शिक्षकों को करियर एडवांसमेंट के लिए केवल औपचारिकता निभाने या फर्जी पत्रिकाओं में शोधघर छापने के बजाय वास्तविक एवं अर्थपूर्ण शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि राज्य विश्वविद्यालयों को इस पतन से

उबारकर पुन: उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, तो निम्नलिखित दीर्घकालिक और दृढ़ नीतिगत कदम उठाने होंगे:—

स्ववित्तपोषण मॉडल की विदाई: उच्च शिक्षा कोई विशुद्ध व्यावसायिक उत्पाद नहीं है जिसे बाजार के लाभ-हानि के तराजू पर तौला जाए। सरकारी को राज्य विश्वविद्यालयों के सभी अनिवार्य प्रशासनिक व शैक्षणिक खर्चों की पूर्ण गारंटी लेनी चाहिए, ताकि कुलपति राजस्व की चिंता किए बिना 30 प्रतिशत या उससे अधिक का कड़ा मेरिट कटऑफ और 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम निर्भीकता से लागू कर सकें। कुलपति से लेकर सहायक प्राध्यापक तक की नियुक्तियों में यूजीसी के मानकों का अक्षरश: पालन हो। किसी भी प्रकार की काल्पनिक पदोन्नति या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयन को कठोरता से रोका जाए।

परिणाम-आधारित जवाबदेही: आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्राओं को केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित न रखकर वास्तविक मूल्यांकन का साधन बनाया जाए। विद्यार्थियों से प्राप्त गोपनीय फीडबैक को शिक्षण सुधार की ठोस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन: राज्य विश्वविद्यालयों के लिए राज्य स्तरीय अनुसंधान कोष का गठन किया जाए, जिससे संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष— उच्च शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय सरकार के लिए कोई आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में किया जाने वाला सबसे सुरक्षित और दूरगामी निवेश है। जब तक राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनने के नाम पर असहाय छोड़ती रहेंगी और केवल सीमित बजट देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती रहेंगी, तब तक कोई भी कुलपति चाहकर भी जड़ें शैक्षणिक मानक लागू नहीं कर पाएगा।

शैक्षणिक गुणवत्ता और वित्तीय लाचारी कभी साथ-साथ नहीं चल सकती। विश्वविद्यालयों को अपनी गरिमा, अनुशासन और बौद्धिक श्रेष्ठता पुन: प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुरक्षा, पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। समय की मांग है कि नीति-निर्माता देश जमीनी संकट को पहचानें और उच्च शिक्षा को बाजार की विवशताओं से मुक्त कर राष्ट्र निर्माण के एक सशक्त माध्यम के रूप में पुनर्स्थापित करें।

—प्रोफेसर अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय

चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली की इतनी तीव्र आलोचना क्यों?

विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती, न चालू रही जा सकती? पद छोड़ने के बाद भी उनके आधिकारिक निर्णयों कर्तव्यों के संबंध में यह प्रतिरक्षा दी हुई है। यह कानून सुप्रीमकोर्ट में चुनौतीधीन है।

अब यक्ष प्रश्न यह है कि सीईईसी व अन्य चुनाव आयुक्तों को उपरोक्त प्रकार की उन्मुक्ति का विचार आया कैसे से?? चुनाव आयोग के अंदर से, या केंद्र सरकार के विभि विभाग से या किसी अन्य व्यक्ति से?? इस प्रश्न का उत्तर आता बिना, चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को सही प्रकार से नहीं समझा जा सकेगा।

आइए, अब मुख्य बात पर विचार करें कि मतदान सूचियों के शुद्धि कारण के लिए ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है?

(1) निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने हटाने का अधिकार कानून के अनुसार केवल व केवल इलेक्ट्रॉल रिजिस्ट्रेशन अधिकारी को है तो नाम जोड़ने और हटाने के काम पर अंतिम निर्णय आयोग के विभाग में कैसे केंद्रित हुआ??

कुछ जगहों से अनुरोध करते थे और उन द्वारा अनुरंशित नाम नहीं जुड़े या रहे नहीं।

(2) निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के फार्म 6 में बिना संसद के अनुमोदन के, निर्वाचक द्वारा नाम जुड़वाने के लिए या न हटाने के लिए, अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करने के लिए सलन/एनेक्सचर कैसे जुड़ा? इस से ज्यादा गम्भीर बात यह कि अब, आलोचनाओं के बाद इसे वापस क्यों ले लिया?? निर्वाचक नामावलियों को आदिनांक करने का काम लगातर होता रहा है। फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है और कैसे लोग इस से त्रस्त हैं?? मोटामोटी इसको यो समझ सकते हैं।— एक राम सिंह के पिता का नाम मनी राम है। एग्रेग्रेटर या स्वयं राम सिंह या कोई भी मनी राम को यों लिख सकता है।— मनी राम, मनिराम, मणी राम आदी आदि। इसी प्रकार माने एक नाम महावीर तो इसे किसी की भी गलती से महावीर लिखा जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटियों की

वजह से पुरानी निर्वाचक नामावलियों से नामों से मैपिंग नहीं होगी। इस कारण जो व्यक्ति वेष कोटर की अन्य सारी शर्तें पूरी करता है, उसका नाम हटाए जा सकते है या नहीं जोड़ा जा सकता है।

इसी प्रकार, जिस आधार निर्वाचक नामावली से मैपिंग की जानी है, उसके तैयार करने के समय बहुत से गरीब या दूसरे लोग भी रोटी मजदूरी के लिए, या अपने दूसरे कामों के लिए, अपने मूल निवास पर नहीं थे तो उनका नाम उस आधार निर्वाचक नामावली में नहीं होगा। इस से भी मैपिंग में उस व्यक्ति या उसके परिवार वालों को परेशानी होगी जो अपना नाम अब जुड़वाना चाहते है या यथावत रखना चाहते है।

मैपिंग के लिए एक आधार 15 व 55 साल की उम्र का रखा है। इस से परेशानियों खड़ी हुई है।50,60 साल से बड़ी उम्र वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास उन का कोई लिखित प्रमाण नहीं या जब आधार नामावली बनी तब किसी भी प्रकार की त्रुटि से उम्र लिखवाने में त्रुटि हुई तो भी मैपिंग नहीं होगी।

मोटे रूप में, आम आदमी इसको यों समझ सकता है कि यदि आपके बैंक खाते आदि में और आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग में अंतर है तो आप बैंक से कोई लेंन दे नहीं कर सकते या जिस की अन्य दस्तावेज से जुड़ा है उसका उपयोग नहीं के सकेगी।

उपर, मतदाता के सामने, मैपिंग से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को सबसे उचित, तीव्र समाधान स्थानीय स्तर पर केवल व केवल ही कर सकता है, का सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्ट वेयर का आयोग में निर्वाचक नामावलियों से संबंधी दूसरे बहुत से कामों में उपयोग हो सकता है। यदि चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों, इस बात पर काम करने वाले विभिन्न अन्य संगठनों को सुनकर उनकी आशंकाओं का उचित समाधान नहीं किया तो आयोग की प्रतिष्ठा को और बहुत बड़ा आघात लगेगा। हमारे लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत ही अशुभ होगा।

—महावीर सिंह, पूर्व आईएएस